HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4795/2026

Mousam Khan Son Of Fateh Mohammad, Aged 35 Years, Resident Of Village Sanvler, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.)
(At Present In Sub Jail Kaman, Deeg)

----Accused/Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dinesh Kumar Garg Mr. Vikram Singh Chauhan
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

Order

09/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना गोपालगढ़, जिला–डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 143/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर फर्जी सिम कार्ड जारी किये जाने के अपराध का आरोप है। फर्जी सिम कार्ड के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आपराधिक कृत्य किया हो, यह इस स्तर पर स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर फर्जी सिम कार्ड जारी किये जाने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मौसम खान पुत्र श्री फतेह मौहम्मद** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

29/VISHAL SHARMA